सिक्किम विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद की दिनांक 13 जून 2014 को बराद सदन भवन, गंगटोक में आयोजित 15वीं बैठक के कार्यवृत्त

निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे:

1. प्रो. टी बी सुब्बा, कुलपति - अध्यक्ष
2. प्रो. संजय राय, समाजशास्त्र विभाग, एनबीयू - सदस्य
3. डा. (श्रीमती) लिली आले, प्राचार्य, सिक्किम सरकारी कालेज, रेनौक - सदस्य
4. डा. एन आर भुईयां, प्राचार्य, हिमालयन फार्मेसी संस्थान, माझीटार - सदस्य
5. प्रो. प्रताप चंद्र प्रधान, डीन, भाषाओं एवं साहित्य का स्कूल - सदस्य
6. प्रो. ए एस चंदेल, लाइब्रेरियन - सदस्य
7. डा. धनीराज छेत्री, डीन, छात्र कल्याण - सदस्य
8. डा. एस के गुरुङ, परीक्षा नियंत्रक - सदस्य
9. प्रो. इर्शाद गुलाम अहमद, प्रमुख, अंग्रेजी विभाग - सदस्य
10. डा. सुबीर मुखोपाध्याय, प्रमुख, भौतिकी विभाग - सदस्य
11. डा. सोहेल फिरदौस, प्रमुख, भूगोल विभाग - सदस्य
12. डा. नवल के पासवान, प्रमुख, शांति एवं संघर्ष अध्ययन तथा प्रबंधन विभाग - सदस्य
13. डा. वी कृष्णा अनंत, प्रमुख, इतिहास विभाग - सदस्य
14. डा. ए एन शंकर, प्रमुख, वाणिज्य विभाग - सदस्य

15. डा. एन सत्यानारायण, - सदस्य
    प्रमुख, वनस्पतिशास्त्र विभाग

16. डा. एच के तिवारी, - सदस्य
    प्रमुख, माइक्रोबायोलॉजी विभाग

17. डा. मनीष, - सदस्य
    प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग

18. डा. कविता लामा, - सदस्य
    प्रमुख, नेपाली विभाग

19. डा. मनेश चौबे, - सदस्य
    प्रमुख, अर्थशास्त्र विभाग

20. डा. वी रामा देवी, - सदस्य
    प्रमुख, प्रबंधन विभाग

21. डा. दुर्गा प्रसाद छेत्री, - सदस्य
    प्रमुख, राजनीतिशास्त्र विभाग

22. डा. स्वाती अक्षय सचदेवा, - सदस्य
    प्रमुख, समाजशास्त्र विभाग

23. डा. कोत्रा राईणे रामा मोहन, - सदस्य
    प्रमुख, एंथ्रोपोलोजी विभाग

24. डा. नूतनकुमार एस थिंगुजाम, - सदस्य
    प्रमुख, मनोविज्ञान विभाग

25. डा. अमिताभ भट्टचार्या, - सदस्य
    एसोसिएट प्रोफेसर, भौतिकी विभाग

26. डा. टी के कौल, - सचिव
    रजिस्ट्रार

निम्नलिखित सदस्यगण अपनी पूर्वकार्यव्यस्तता के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके तथा उनलोगों ने अनुपस्थिति हेतु छुट्टी की याचना की:

1. प्रो. डी के नायक, भूगोल विभाग, पूर्वोत्तर हिल विश्वविद्यालय
2. प्रो. जे पी तामाङ, डीन, जीव विज्ञान का स्कूल
3. डा. एस मनिवानन, प्रमुख, होर्टीकल्चर विभाग
4. डा. दिलीप कुमार दास, प्रमुख, पर्यटन विभाग

आरंभ में कुलपति ने परिषद के सभी सदस्यों विशेषकर, निम्नलिखित नए सदस्यों का स्वागत किया:

1. डा. (श्रीमती) लिली आले, प्राचार्य, सिक्किम सरकारी कालेज, रेनौक
2. डा. एन आर भुईयां, प्राचार्य, हिमालयन फार्मेसी संस्थान, माझीटार

3. प्रो. डी के नायक, भूगोल विभाग, पूर्वोत्तर हिल विश्वविद्यालय (अनुपस्थिति में)
4. प्रो. संजय राय, समाजशास्त्र विभाग, एनबीयू
5. प्रो. इर्शाद गुलाम अहमद, प्रमुख, अंग्रेजी विभाग
6. डा. दुर्गा प्रसाद छेत्री, प्रमुख, राजनीतिशास्त्र विभाग
7. डा. स्वाती अक्षय सचदेवा, प्रमुख, समाजशास्त्र विभाग
8. डा. दिलीप कुमार दास, प्रमुख, पर्यटन विभाग (अनुपस्थिति में)
9. डा. कोत्रा राईणे रामा मोहन, एंथ्रोपोलोजी विभाग
10. डा. नूतनकुमार एस थिंगुजाम, मनोविज्ञान विभाग

परिषद ने निम्नलिखित सदस्यों के अवदानों के प्रति भी अपनी प्रशंसा अभिलेखित किया जिन्होंने परिषद के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है:

1. डा. एम पी थापा, प्राचार्य, सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, नामची
2. फा. (डा.) डेनियल बारा, एस.जे., प्राचार्य, लोयला शिक्षा महाविद्यालय, नामची
3. प्रो. एस एफ पाटील, कार्यकारी निदेशक, (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) भारतीय विद्यापीठ, पुणे
4. ले. जेन. (सेवानिवृत) आदित्य सिंह
5. प्रो. पीटर रोनाल्ड डी सूजा, विकासशील अध्ययनों हेतु अध्ययन केंद्र, दिल्ली
6. प्रो. एस एस सिंह, निदेशक, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल
7. श्री टाशी डेनसापा, निदेशक, नामग्याल तिब्बतीशास्त्र संस्थान, देवराली
8. श्रीमती किपु छिरिंग लेपचा, सामाजिक कार्यकर्ता एवं सिविल सेवक
9. प्रो. राजकिशोर गुप्ता, प्रमुख, अर्थशास्त्र विभाग, उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय

तत्पश्चात, निम्नानुसार कार्यसूची मदों पर चर्चा हुई:

भाग 1

कार्यवृत्त एवं अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट की पुष्टि

एसी15:1:1: शैक्षणिक परिषद की दिनांक 13 नवंबर 2013 को आयोजित 14वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि:

परिषद के किसी भी सदस्य द्वारा दिनाक 19 नवंबर 2013 को परिचालित कार्यवृत्त पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि, डा. सोहेल फिरदौस ने प्रो एस एफ पाटील द्वारा पिछली बैठक के दौरान उठाई गई टिप्पणियों के बारे में मुद्दा उठाया। अध्यक्ष द्वारा स्पष्ट किया गया कि प्रो पाटील द्वारा की गई टिप्पणियों पर परीक्षा के संचालन पर संशोधित विनियम में ध्यान रखा गया है। अतः शैक्षणिक परिषद की दिनांक 13 नवंबर 2013 को आयोजित बैठक एवं 19 नवंबर 2013 को यथापरिचालित कार्यवृत्त की पुष्टि कर ली गई।

एसी15:1:2: शैक्षणिक परिषद की दिनांक 13 नवंबर 2013 को आयोजित 14वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट की पुष्टि:

अध्यक्ष ने रजिस्ट्रार से परिषद की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा परिषद की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई को नोट किया।

भाग 2

रिपोर्टकी गई मदें

एसी15:2:1: विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह

परिषद ने दिनांक 09 मार्च 2014 को आयोजित द्वितीय दीक्षांत समारोह पर विश्वविद्यालय की रिपोर्ट को नोट किया।

एसी15:2:2: ओपन एवं डिस्टेन्स लर्निंग (ओडीएल) द्वारा अवार्ड की गई डिगरियों की पारंपरिक विश्वविद्यालयों / संस्थानों के समकक्ष के साथ समतुल्यता

परिषद ने यूजीसी द्वारा दिनांक 14.10.2014 के पत्र के माध्यम से जारी निर्देशनों को नोट किया जो कि ओपन एवं डिस्टेन्स लर्निंग (ओडीएल) संस्थानों द्वारा संचालित प्रोग्रामों के लिए प्रदत्त डिग्रियों/ डिप्लोमा/प्रमाण-पत्रों को देशभर में पारंपरिक विश्वविद्यालयों/संस्थानों के यूजीसी/पूर्वकालिक डीईसी द्वारा मान्यताप्राप्त समकक्ष डिग्रियों/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्रों के समतुल्य माने जाने के संबंध में है।

भाग 3

संपुष्टि हेतु मामले

एसी15:3:1: पूर्वोत्तर भारत पर अनुसंधान हेतु मौलाना आज़ाद केंद्र

परिषद को सूचित किया गया की इस विश्वविद्यालय ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता (एमएकेएआईएएस) के साथ शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहकारिता हेतु एक एमओयू में प्रवेश किया है जिसमें पूर्वोत्तर भारत पर अनुसंधान हेतु मौलाना आज़ाद केंद्र की स्थापना सम्मिलित है, ताकि पोस्टग्रेजुएट, एमफिल एवं पीएचडी छात्रों के प्रति अनुसंधान के अवसर उपलब्ध एवं उत्प्रेरित किया जा सके, साथ ही अन्य वरिष्ठ अनुसंधानकर्ताओं की पूर्वोत्तर भारत में सामाजिक विज्ञान में प्रभावकारिता में वृद्धि की जा सके। इस केंद्र से पूर्वोत्तर भारत एवं इसके सामीप्य के क्षेत्र पर सिक्किम राज्य में अनुसंधान गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल के रूप में कार्य करने की आशा है। निधि एमएकेएआईएएस द्वारा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बजट के अनुसार उपलब्ध करवाया जाएगा। परिषद को यह भी सूचित किया गया कि डा.मनीष, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, केंद्र के समन्वयकर्ता होंगे। केंद्र के संचालन के लिए एक परामर्शदायी समिति का गठन किया जाना है।

परिषद ने कुलपति को कथित केंद्र की परामर्शदायी समिति गठित करने के लिए प्राधिकृत किया। परिषद ने विश्वविद्यालय में पूर्वोत्तर भारत पर अनुसंधान हेतु मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद केंद्र स्थापित करने तथा डा.मनीष को इसका समन्वयकर्ता नियुक्त करने में कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की संपुष्टि की।

एसी15:3:2: सिक्किम विश्वविद्यालय में संकटापन्न भाषाओं के केंद्र की स्थापना

परिषद को कुलपति द्वारा सूचित किया गया कि यूजीसी ने संकटापन्न भाषाओं हेतु केंद्र तेजपुर विश्वविद्यालय, असम; राजीव गांधी विश्वविद्यालय, इटानगर एवं सिक्किम विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाने के लिए अपना अनुमोदन सूचित किया है। सिक्किम विश्वविद्यालय में इस केंद्र की स्थापना का उद्देश्य सिक्किम एवं उत्तर बंगाल में संकटापन्न भाषाओं का अध्ययन, दस्तावेजन एवं सूची-बद्धन करना है। तेजपुर विश्वविद्यालय को एक मार्गदर्शक विश्वविद्यालय के रूप में रखते हुए तीनों विश्वविद्यालय एक समूह के तौर पर कार्य करेंगे। इस केंद्र हेतु सिक्किम विश्वविद्यालय को रु.1.80 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। अनुदान के परिमाण को तीन वर्षों के बाद विश्वविद्यालय की क्षमता के आकलन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। तद्नुसार सिक्किम विश्वविद्यालय में संकटापन्न भाषाओं का केंद्र कार्यालय आदेश सं.116/2014 दिनांक 02.05.2014 के तहत स्थापित किया गया है। अध्यक्ष ने यह भी सूचित किया कि डा.समर सिन्हा, सहायक प्रोफेसर, नेपाली विभाग को केंद्र का समन्वयकर्ता नियुक्त किया गया है।

अध्यक्ष ने परिषद को यह भी सूचित किया कि यह केंद्र सिक्किम एवं उत्तर बंगाल क्षेत्र में संकटापन्न भाषाओं के लिए एक बहूभाषिक शब्दकोश एवं प्रवेशिका का निर्माण करेगा। सदस्यों में से एक के द्वारा संकटापन्न भाषाओं के संबंध में एक प्रश्न पर अध्यक्ष ने सूचित किया कि संकटापन्न भाषाओं की सूची यूनेस्को रिपोर्ट में दी गई है।

परिषद ने संकटापन्न भाषाओं के केंद्र स्थापित करने तथा डा. समर सिन्हा, सहायक प्रोफेसर को इसका समन्वयकर्ता नियुक्त करने में विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई की संपुष्टि की।

भाग 4
विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ मामले

एसी15:4:1: शैक्षणिक परिषद की बैठकों के लिए विनियमावली

इस मद को रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तुत किया गया जिन्होंने परिषद को सूचित किया कि शैक्षणिक परिषद की बैठकों को संचालित करने के लिए अबतक कोई विनियमावली का निर्माण नहीं किया गया है।विनियमावलियों का मसौदा तैयार करने के दौरान, विश्वविद्यालय के अधिनियम, सांविधियों, एवं अध्यादेशों का परीक्षण किया गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, आईजीएनओयू एवं हैदराबाद विश्वविद्यालय सदृश कुछ अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक परिषद की बैठकों के संचालन हेतु अधिनियमों, सांविधियों, अध्यादेशों एवं विनियमावलियों का भी परीक्षण किया गया एवं तदनुसार ड्राफ्ट विनियमावली तैयार की गई तथा विधिक परामर्शदाता से इसकी विधिक वैटिंग की गई। ड्राफ्ट विनियमावली के प्रत्येक खंड का पठन किया गया। विचार-विमर्श के पश्चात परिषद ने ड्राफ्ट विनियमावली में कुछ स्थानों पर कुछ परिवर्तन का सुझाव दिया। इस कार्यवृत्त के साथ प्रदत्त परिशिष्ठ-1 के अनुसार परिषद द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के पश्चात परिशोधित ड्राफ्ट विनियमावली की परिषद द्वारा कार्यकारी परिषद के अनुमोदनार्थ अनुशंसा की गई।

एसी15:4:2: विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग स्थापित किया जाना

अध्यक्ष ने परिषद को सूचित किया कि विश्वविद्यालय के छह अध्ययन स्कूलों के अंतर्गत 29 शैक्षणिक विभाग कार्यरत हैं।

आठ अन्य शैक्षणिक विभाग, नामतः आर्किटेक्चर, भूटिया, जैवप्रौद्योगिकी, लेपचा, लिम्बू, भाषाशास्त्र, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान तथा सामाजिक कार्य विभाग 12वीं योजना के अंतर्गत प्रस्तावित हैं। परंतु ये विभाग अभी तक कार्यरत नहीं हुए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग ने सूचित किया है कि लखनऊ में दिनांक 13 से 15 सितंबर 2013 को "आधुनिक युग में संस्कृत का महत्व" विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पारित किए गए प्रस्तावों में से एक यह था कि देश के प्रत्येक केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक संस्कृत विभाग होना चाहिए ताकि इस भाषा का प्रचार-प्रसार किया जा सके। तदनुसार, एमएचआरडी ने हमारे विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग खोले जाने की संभावना का पता लगाने को कहा है। विधिवत चर्चा के उपरांत परिषद ने इस विषय पर विस्तृत अध्ययन करने तथा परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक समिति नियुक्त किया:

1. प्रो. प्रताप चंद्र प्रधान - अध्यक्ष
   डीन, भाषाओं एवं साहित्य का स्कूल
2. डा. सोहेल फिरदौस - सदस्य
   डीन, मानव विज्ञान का स्कूल
3. डा. सुबीर मुखोपाध्याय - सदस्य
   डीन, भौतिक विज्ञान का स्कूल
4. डा. अप्पाला नाग शंकर - सदस्य
   डीन, व्यवसायिक अध्ययनों का स्कूल
5. डा. वी कृष्ण अनंत - सदस्य
   प्रमुख, इतिहास विभाग

एसी15:4:3: जामिया उर्दू अलीगढ़ द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की मान्यता

जामिया उर्दू अलीगढ़, एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान ने उनके द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित पाठ्यक्रमों की सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है:

1. "अदीब" जो कि हाई स्कूल के समतुल्य है।
2. "अदीब-ए-माहिर" जो कि इंटरमीडिएट के समतुल्य है।
3. "अदीब-ए-कामिल" जो कि स्नातक कला के समतुल्य है।
4. "मोयलिम-ए-उर्दू" जो कि स्नातक शिक्षा के समतुल्य है।

उनलोगों ने कार्मिक एवं प्रशासन सुधार विभाग के का.ज्ञा. दिनांक 28 जून 1978 की एक प्रति भी संलग्न किया है, जिसके द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों की मान्यता केंद्रीय सरकार के उन पदों पर नियोजन के उद्देश्य से प्रदान किया गया है, जिनमें उक्त प्रत्येक पाठ्यक्रम में उल्लेखित मानक तक उर्दू ज्ञान वांछनीय है।

परिषद ने विचार विमर्श के बाद निर्णय किया कि जामिया उर्दू अलीगढ़ द्वारा प्रस्तावित इन पाठ्यक्रमों की पाठ अंतर्वस्तु मंगाई जाये। परिषद ने दिनांक 29 जून 1978 के का. ज्ञा. की अंतर्वस्तु को भी नोट किया।

एसी15:4:4: सिलेबसों के परिशोधन/ड्राफ्टिंग का मामला

अध्यक्ष ने सूचित किया कि पिछले सेमेस्टर के दौरान पीजी पाठ्यक्रमों के अधिकांश सिलेबसों का परिशोधन किया गया था। तथापि, इस सेमेस्टर के दौरान अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रमों, साथ ही शिक्षा, पर्यटन एवं हिन्दी विभागों के सिलेबसों को अद्यतन एवं परिशोधित करने का प्रयास किया गया है,

परिशोधित ड्राफ्ट सिलेबसों को अधिकांश मामले में संबन्धित विभागों के अध्ययन-स्कूलों एवं तत्पश्चात संबन्धित स्कूल बोर्डों द्वारा स्वीकार किया गया है। परंतु शिक्षा, पर्यटन एवं हिन्दी सदृश कुछ विभागों के मामले में इन्हें स्कूल बोर्डों द्वारा सीधे स्वीकार किया गया, क्योंकि इन विभागों में अप्रेल 2014 तक स्थायी संकाय सदस्यों की कमी के कारण अभी अध्ययन बोर्डों को गठित किया जाना शेष है। अध्यक्ष ने यह भी सूचित किया की एक मामले में, सिलेबस के संशोधन के संबंध में अनुशंसाएँ सीधे शैक्षणिक परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्राप्त हुई हैं।

तत्पश्चात अध्ययक्ष ने संबन्धित स्कूल के डीन को स्कूल के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में ड्राफ्ट/संशोधित सिलेबस प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

डा.सोहेल फिरदौस, डीन, मानव विज्ञान स्कूल ने भूगोल में बी.ए./बी.एससी.(आनर्स); मनोविज्ञान में बी.एससी-एम.एससी.एकीकृत पाठ्यक्रम, पूर्वी हिमालयन अध्ययन एवं पर्यावरण अध्ययनों का संशोधित सिलेबस प्रस्तुत किया। परिषद ने उपरोक्त पाठ्यक्रमों / विषयों के संशोधित सिलेबसों का अनुमोदन किया।

प्रो. प्रताप चंद्र प्रधान, डीन, भाषाएँ एवं साहित्य स्कूल ने भूटिया, लेपचा, लिम्बू एवं नेपाली के बी.ए. (आनर्स); एम.ए.(हिन्दी) 3रे एवं 4थे सेमेस्टर; चाइनीज में बी.ए-एम.ए एकीकृत पाठ्यक्रम; अङ्ग्रेज़ी में बी.ए.(आनर्स); एम.ए.(अङ्ग्रेज़ी); अङ्ग्रेज़ी में एम.फिल एवं पीएच डी के संशोधित/ड्राफ्ट सिलेबस प्रस्तुत किया। मनोविज्ञान में पेपर III एवं IV का अदला-बदली होगा। उन महाविद्यालयों के लिए सभी भाषाओं में भाषाशास्त्र वैकल्पिक पेपर होगा, जहां भाषाशास्त्री शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। सिलेबसों का अनुमोदन किया गया। कुलपति को किसी सिलेबस में यूनिट शीर्षकों एवं अन्य दूसरी विसंगतियों के निवारण के लिए प्राधिकृत किया गया था।

डा. एन सत्यनारायण, प्रमुख, वनस्पतिशास्त्र विभाग ने प्रो. जे पी तामाङ, डीन, जीव विज्ञान स्कूल के बदले में प्रस्तुत किया। उन्होंने प्राणीशास्त्र का संशोधित यूजी एवं पीजी सिलेबस प्रस्तुत किया जिसका अनुमोदन किया गया था। उन्होंने वनस्पतिशास्त्र हेतु यूजी सिलेबस भी प्रस्तुत किया जिसे अनुमोदित किया गया। माइक्रोबायोलॉजी में यूजी, पीजी एवं एम.फिल/पीएचडी सिलेबस का अनुमोदन किया गया। तथापि, माइक्रोबायोलॉजी में एम.एससी. सेमेस्टर IV में कुछ विसंगतियाँ थी जिसे एक शोधप्रबंध पेपर हेतु 400 अंकों के लिए सुझाया गया है। परिषद ने सलाह दी कि अंतिम सेमेस्टर में मात्र एक ही शोधप्रबंध पेपर रखा जाए जिसमें दो सैद्धान्तिक पेपर तथा एक प्रैक्टिकल पेपर सम्मिलित किया जाए। माइक्रोबायोलॉजी के एचओडी 15 दिनों के अंतर्गत संशोधित सिलेबस प्रस्तुत करने के लिए सहमत हुए।

डा. सुबीर मुखोपाध्याय, डीन, भौतिक विज्ञान स्कूल ने भौतिक विज्ञान स्कूल के अंतर्गत विषयों के संशोधित/ड्राफ्ट सिलेबस प्रस्तुत किया। परिषद ने भौतिकी एवं रसायनशास्त्र के यूजी/पीजी सिलेबसों; गणित के संबंध में यूजी सिलेबस; भूगर्भशास्त्र के बी.एससी-एम.एससी एकीकृत सिलेबस तथा कंप्यूटर एप्लीकेशन्स में बीसीए-एमसीए प्रोग्रामों का अनुमोदन किया। सांख्यिकी हेतु यूजी सिलेबस का भी अनुमोदन किया गया। गणित के पीजी सिलेबस हेतु परिषद ने सलाह दी कि परियोजना कार्य सिर्फ चार क्रेडिट्स अर्थात 100 अंकों के हों। आगे, ऐच्छिक पेपरों में से पेपर 7 सेमेस्टर II में

तथा पेपर 8 सेमेस्टर III में अन्य विभागों के छात्रों के लिए मुक्त पेपरों सदृश जाएँगे।

डा. अपपाला नाग शंकर, डीन, व्यावसायिक अध्ययन स्कूल ने बी.ए. तथा एम.बी.ए. के 3रे एवं 4थे सेमेस्टर; प्रबंधन में पीएच डी कार्यक्रम; शिक्षा में बी.ए. तथा एम.ए. के 3रे एवं 4थे सेमेस्टर; बी.एड. एवं एम.एड; बीपीए-एमपीए; बी.फार्म.-एम.फार्म.; शारीरिक शिक्षा के यूजी सिलेबस; पर्यटन एवं सेवा उद्योग में यूजी, पीजी (III एवं IV सेमेस्टर) एवं डिप्लोमा; जेएमसी में यूजी; वाणिज्य में यूजी, पीजी एवं एम.फिल./पीएच डी पाठ्यक्रमकार्य हेतु संशोधित/ड्राफ्ट सिलेबस प्रस्तुत किया। प्रस्तुत किए गए ड्राफ्ट सिलेबसों का परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

डा. नवल के पासवान, डीन, सामाजिक विज्ञान स्कूल ने राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं इतिहास में यूजी आनर्स पाठ्यक्रमों के संशोधित/ ड्राफ्ट सिलेबसों को प्रस्तुत किया जिसका अनुमोदन किया गया। उन्होंने राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र एवं इतिहास के पीजी पाठ्यक्रमों के सिलेबस को भी प्रस्तुत किया जिसका अनुमोदन किया गया। राजनीतिशास्त्र एवं समाजशास्त्र में पुनर्संरचनाकृत सिलेबसों का अनुमोदन किया गया। राजनीतिशास्त्र में एम.फिल/पीएच डी के सिलेबसों का अनुमोदन किया गया। शांति एवं संघर्ष अध्ययन तथा प्रबंधन हेतु एम.ए. सिलेबस में डा. साल्वीन पॉल द्वारा एक वैकल्पिक पेपर के रूप में निर्मित ड्राफ्ट सिलेबस तथा डा. निधि सक्सेना द्वारा एलएलएम पाठ्यक्रम हेतु तैयार किया गया 'अग्रिम व्यापारिक विधि: ई-शासन की विधि' हेतु ड्राफ्ट सिलेबस अनुमोदित किया गया।

यह निर्णय लिया गया कि अनुमोदित सिलेबसों का डा. एन के पासवान की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा कोडिंग किया जाएगा जिसके पश्चात फोरमेटिंग एवं सम्पादन किया जाएगा। परिषद ने अध्यक्ष को इस उद्देश्य से एक समिति गठित करने के लिए प्राधिकृत किया। परिषद ने इनके द्वारा अनुमोदित सिलेबसों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भी अध्यक्ष को प्राधिकृत किया। यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर के संबंध में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के समर-स्कूल प्रोग्राम को विंटर-स्कूल में परिणत किया जाएगा तथा क्षेत्र कार्य/प्रैक्टिकल/इंटर्नशीप/शैक्षणिक भ्रमण के लिए न्यूनतम क्रेडिट 1 क्रेडिट का होगा।

टेबुल मदें

एसी15:4:5: वनस्पतिशास्त्र विभाग में पीएच डी प्रोग्राम हेतु दो अधिसंख्य अभ्यर्थियों का पंजीकरण

डा. एन सत्यनारायण, प्रमुख, वनस्पतिशास्त्र विभाग ने इस मद को प्रस्तुत किया। उन्होंने सूचित किया कि विश्वविद्यालय ने वनस्पतिशास्त्र विभाग में पीएच डी प्रोग्रामों के लिए दो अधिसंख्य अभ्यर्थियों को शैक्षणिक वर्ष 2013 के लिए पंजीकृत किया गया है। ये अभ्यर्थीगण दो प्रतिष्ठित संस्थानों में शोधछात्रों के रूप में पूर्व से ही नियुक्त हैं एवं उन्हें विश्वविद्यालय से किसी छात्रवृति /निधिप्रदाय एवं संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सूचित किया की विश्वविद्यालय के पीएचडी कार्यक्रमों में पंजीकृत होने के लिए यह निरीक्षण एवं निर्धारित करना आवश्यक था कि ऐसे संस्थानों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। वनस्पतिशास्त्र के सकाय सदस्यों से बनी एक स्थानीय समिति ने उन संस्थानों की अनुसंधान सुविधाओं का दिनांक 16 मई 2014 को निरीक्षण किया (पद्मजा नायडू हिमालयन जुओलोजिकल पार्क), दार्जिलिंग जहां श्री भूपेन रोका अनुसंधानकार्यरत हैं,

एवं दिनांक 19 मई 2014 को (पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में अनुसंधान हेतु अशोका ट्रस्ट या एटीआरईई, दावलपमेंट एरिया, गंगटोक) का निरीक्षण किया जहां सुश्री करुणा गुरुङ अपना अनुसंधान कार्य कर रही हैं। समिति के सदस्यों ने पाया कि इन दो छात्रों के प्रति उपलब्ध सुविधाएं एवं संसाधन पर्याप्त एवं संतोषजनक हैं तथा दोनों अभ्यर्थियों के वनस्पतिशास्त्र विभाग में पीएचडी प्रोग्राम हेतु पंजीकरण के लिए निम्नानुसार अनुशंसा की :

1. सुश्री करुणा गुरुङ, डा. संतोष राई, सहायक प्रोफेसर के अधीन
2. श्री भूपेन रोका, डा. धनीराज छेत्री, एसोसिएट प्रोफेसर के अधीन

परिषद ने समिति की अनुशंसाओं का तथा सुश्री करुणा गुरुङ एवं श्री भूपेन रोका वनस्पतिशास्त्र विभाग में पीएच डी प्रोग्राम हेतु पंजीकरण का भी अनुमोदन किया

भाग 5

प्राधिकारों/ समितियों के कार्यवृत्त

एसी15:5:1: महाविद्यालय विकास परिषद की दिनांक 30 मई 2014 को आयोजित पहली बैठक के कार्यवृत्त

परिषद ने महाविद्यालय विकास समिति के दिनांक 30 मई 2014 को आयोजित पहली बैठक के कार्यवृत्त पर विचार किया तथा महाविद्यालय विकास परिषद के निम्नलिखित अनुशंसाओं का अनुमोदन किया:

1. अंडरग्रेजुएट शिक्षा नीति की समीक्षा:
   - परिषद ने महाविद्यालय विकास परिषद की अनुशंसाओं का अनुमोदन किया।

2. सिक्किम विश्वविद्यालय एवं सिक्किम सरकारी विधि महाविद्यालय, बुरतुक में बीए-एलएलबी प्रोग्रामों में समरूपता
   - परिषद ने महाविद्यालय विकास परिषद की वर्तमान वर्ष हेतु यथास्थिति अनुरक्षित रखने एवं बीए-एलएलबी के लिए महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय हेतु एकीकृत कैलेंडर विकसित करने की अनुशंसाओं को नोट किया। तथापि, ऐसा करने में उठने वाली कठिनाइयों की दृष्टि से सदन विधि विभाग, एसयू के सुझावों से सहमत हुआ कि बीए-एलएलबी को अगले शैक्षणिक वर्ष से स्थानांतरित किया जाए।

3. बी. एड. महाविद्यालयों में पढ़ाए जा रहे प्रविधि पेपरों का विश्वविद्यालय के स्कूल बोर्ड में समावेशन
   - परिषद ने महाविद्यालय विकास परिषद की अनुशंसाओं का अनुमोदन किया।

4. पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षक वांछनीयता
   - परिषद ने महाविद्यालय विकास समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन किया।

परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि अब से सम्बद्ध महाविद्यालयों से संबन्धित सभी मामलों पर संबद्धता समिति के स्थान पर महाविद्यालय विकास परिषद द्वारा विचार किया जाएगा, जिसे कि तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

एसी15:5:2: संबद्धता समिति की दिनांक 29 मई 2014 को आयोजित दूसरी बैठक के कार्यवृत्त

परिषद ने बैठक के कार्यवृत्त पर विचार किया तथा निम्नलिखित का अनुमोदन किया:

- सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, बुर्तुक के प्रति शैक्षणिक वर्ष 2014-15 से अस्थाई संबद्धता प्रदान करना
- परिषद ने संबद्धता समिति की लोयला शिक्षा महाविद्यालय, नामची के प्रति स्थायी संबद्धता हेतु अनुशंसा को स्वीकृत किया।
- परिषद ने संबद्धता समिति की सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, रेनौक में शैक्षणिक सत्र 2014-2015 से मनोविज्ञान में बी.एससी. तथा कंप्यूटर विज्ञान में बी॰एससी. की प्रस्तावना हेतु अनुशंसाओं को भी स्वीकृत किया।
- परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2014-2015 हेतु निम्नलिखित महाविद्यालयों के प्रति अस्थाई संबद्धता प्रदान किए जाने की अनुशंसाओं को भी स्वीकृत किया:
  - सिक्किम सरकारी बी एड महाविद्यालय सोरेंग
  - हिमालया फार्मेसी संस्थान माझीटार
  - सिक्किम सरकारी महाविद्यालय गेजिंग
  - सिक्किम सरकारी महाविद्यालय रेनौक
  - सिक्किम सरकारी महाविद्यालय नामची
  - पाकिम पैलेटाइन महाविद्यालय; एवं
  - डंबर सिंह महाविद्यालय

  अस्थाई संबद्धता निरीक्षण रिपोर्टों में किए गए प्रेक्षणों के अनुपालन की शर्त पर दी जाती है। परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि निरीक्षण रिपोर्टों में किए गए प्रेक्षणों को प्राचार्यों, शासकीय निकाय के अध्यक्षों एवं उच्चतर शिक्षा के निदेशालय को, जैसा कि मामला हो, सुधार हेतु प्रेषित किया जाये।

- परिषद ने पाकिम पैलेटाइन महाविद्यालय एवं डंबर सिंह महाविद्यालय में इन महाविद्यालयों की धारणीयता निर्धारित करने के लिए समग्र निरीक्षण हेतु एक विशेष निरीक्षण दल गठित किए जाने की सीडीसी की अनुशंसाओं का भी अनुमोदन किया।

- परिषद ने यह भी अनुमोदित किया कि उन महाविद्यालयों का प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जाये जिन्हें स्थायी संबद्धता प्रदान की गई है।

- परिषद ने संबद्धता समिति की इस अनुशंसा का भी अनुमोदन किया कि मिशनरी/निजी महाविद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2015-2016 से कार्यान्वयन के पूर्व छात्रों से प्रभारित की जाने वाली शुल्क संरचना को विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किया जाए। निजी महाविद्यालयों के शासकीय निकाय के प्रति नामित सदस्यों की भी समीक्षा की जाएगी एवं जहां कहीं संभव हो नए सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा।

भाग 6

अध्यक्ष की अनुमति से विषय

एसी15:6:1: शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदन हेतु परीक्षकों की सूची

अंडरग्रेजुएट,पोस्टग्रेजुएट, एवं एम.फिल/ पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षकों की सूची अध्यक्ष द्वारा सदन पटल पर प्रस्तुत किया गया तथा परिषद ने इसका अनुमोदन किया।

एसी15:6:2: परीक्षा विभाग के अभिलेखों की प्रतिधारण अवधि

विचार विमर्श के पश्चात परिषद ने परीक्षा विभाग के निम्नलिखित अभिलेखों की प्रतिधारण अवधि की कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदन हेतु अनुशंसा की:

क्रम सं.	अभिलेख की प्रकृति	प्रतिधारण अवधि
1	प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाएँ	सेमेस्टर परिणामों की घोषणा के एक वर्ष पश्चात
2	पुराने प्रश्न पत्र	सेमेस्टर परीक्षा समाप्त होने के तत्काल बाद। 10 प्रश्न पत्रों का समुच्चय स्थायी रूप से संरक्षित किया जाएगा।
3	प्रयुक्त पंजीकरण प्रपत्र एवं अंतरणप्रमाणक की प्राप्त प्रतियाँ	पंजीकरण पूर्ण होने के एक वर्ष समाप्त होने पर।
4	पुराने सेमेस्टर कार्ड	सेमेस्टर परिणामों की घोषणा के तत्काल बाद

एसी15:6:3: सम्बद्ध महाविद्यालयों में एम.फिल/ पीएच डी प्रस्तावना

हिमालयन फार्मेसी संस्थान, माझीटार ने बतलाया कि जब यह महाविद्यालय उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध था इस संस्थान में पीएच डी प्रोग्राम चलाया जाता था। इसके द्वारा संस्थान में फार्मेसी में पीएच डी प्रोग्राम हेतु अनुमति प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की गई। इसी प्रकार हर्कमाया शिक्षा महाविद्यालय ने महाविद्यालय में एम.फिल. की प्रस्तावना की मांग की। इसी प्रकार विभिन्न महाविद्यालयों में अर्हताप्राप्त शिक्षकों में सिक्किम विश्वविद्यालय से पर्यवेक्षक तथा परियोजना अन्वेषक संयुक्त पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त होंगे जिनमें डीबीटी, डीएसटी से परियोजनाएं प्राप्त है तथा उनमें अनुसंधानकर्ता के साथ पीएच डी परियोजना चल रही है। परिषद ने इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया। यह बतलाया गया कि डीबीटी, डीएसटी आदि की परियोजनाएं अनुसंधान परियोजनाएं हैं तथा पीएचडी अथवा एम.फिल. डिग्री के लिए होती हैं। चर्चा के बाद परिषद ने कुलपति को इस विषय का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित करने के लिए प्राधिकृत किया।

एसी15:6:4: सिक्किम विश्वविद्यालय के कार्मिकों (शिक्षण एवं गैर-शिक्षण) हेतु केंद्रीय सरकार नियमावली का अंगीकरण

अध्यक्ष ने परिषद को सूचित किया कि सिक्किम विश्वविद्यालय की धारा 5(23) विश्वविद्यालय को सभी श्रेणियों के लिए उनके आचरण सहित सेवा शर्तें निर्धारित करने को शक्तिसम्पन्न करती है। सांविधियों,अध्यादेशों, एवं विनियमावली में कर्मचारियों की सेवा शर्तों की सभी पहलुएं व्याप्त नहीं हैं। कार्यव्यवहार के तौर पर हमलोग भारत सरकार नियमावली का अनुसरण करते हैं, जहां कहीं

अधिनियम/सांविधियाँ/अध्यादेश/विनियमावली अनभिव्यक्त हैं एवं तदनुसार हमारे कार्मिकों के लिए भारत सरकार नियमावली के औपचारिक अंगीकरण की मांग उन उद्देश्यों के लिए करते हैं, जहां हमारा अधिनियम/सांविधियाँ/अध्यादेश एवं विनियमावली अनभिव्यक्त हैं।

1. सामान्य वितीय नियमावली
2. मौलिक नियमावली
3. अनुपूरक नियमावली
4. केंद्रीय सिविल सेवाएँ (आचरण) नियमावली
5. केंद्रीय सिविल सेवाएँ (वर्गिकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली

अध्यक्ष ने यह भी सूचित किया कि इस विषय पर दिनांक 23 मई 2014 को एसयूटीए के कार्यालय-वाहकों के साथ विचार विमर्श किया गया। यद्यपि अंगीकरण हेतु अपने उत्तरों से वे आश्वस्त थे परंतु उन्होंने इसे आम सभा में उठाने एवं तत्पश्चात रिपोर्ट करने की इच्छा व्यक्त की। तथापि दिनांक 09 जून 2014 के अपने पत्र में, एसयूटीए ने कार्यसूची में दी गई सेवा शर्तों के अंगीकरण को यह कहते हुए अस्वीकार किया कि यह केंद्रीय सिविल सेवा कर्मचारियों के ऊपर शासन के निमित्त है, जिनके कार्य मुख्यतः प्रशासनिक होते हैं तथा केंद्रीय सिविल सेवा कर्मचारियों पर शासन हेतु नियमावली विश्वविद्यालय शिक्षकों की वांछनीयता के साथ सामंजस्य नहीं भी कर सकता है। उन्होंने आगे अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों से ऐसी नियमावली अंगीकृत करने अथवा हमारी अपनी नियमावली तैयार करने का सुझाव दिया। अध्यक्ष ने सूचित किया कि अध्यादेशों में सेवा शर्तों के प्रत्येक विवरण को समावेशित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। तथापि, सेवा शर्तों को भारत सरकार की नीति के अनुरूप होना भी अनिवार्य है। जहां तक शैक्षणिक कार्यव्यापार का संबंध है, इन्हें विश्वविद्यालय के सांविधियों/अध्यादेशों/विनियमावली में स्पष्टता से उल्लेख किया गया है तथा ये यूजीसी विनियमावली से भी अनुपूरित हैं। कुछ अन्य सदस्यों ने इस नियमावली के अंगीकरण का समर्थन किया क्योंकि कथित केंद्रीय सरकार नियमावली में कर्मचारियों के प्रति पर्याप्त सुरक्षा व्याप्त है। कुछ सदस्यों ने इसपर विचार करने के लिए और समय की मांग की। इसपर सम्मति बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि इस मामले पर शैक्षणिक परिषद की अगली बैठक में पुनः विचार किया जाएगा।

अध्यक्ष से धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त घोषित हुई।

हस्ता/-
(टी के कौल)
रजिस्ट्रार एवं सचिव

हस्ता/-
(टी बी सुब्बा)
कुलपति एवं अध्यक्ष

शैक्षणिक परिषद की बैठकों के लिए विनियमावली

(एसयू अधिनियम की धारा 23 एवं सांविधि 13)

1. शैक्षणिक परिषद की बैठक किसी कैलेंडर वर्ष में साधारणतया कम से कम दो बार अथवा ऐसे समय पर आयोजित होगी जैसा कि कुलपति द्वारा निर्णय लिया जाता है।

2. कुलपति शैक्षणिक परिषद का अध्यक्ष तथा रजिस्ट्रार इसके सचिव होंगे।

3. शैक्षणिक परिषद की बैठकों की तारीख का निर्धारण कुलपति द्वारा किया जाएगा, जो कि शैक्षणिक परिषद के अध्यक्ष होंगे।

4. रजिस्ट्रार अध्यक्ष के निर्देशानुसार बैठक के आयोजन से कम से कम 21 दिन पूर्व बैठक की सूचना जारी करेंगे, जिसमें बैठक की तारीख, समय एवं स्थान का उल्लेख होगा। बैठक में चर्चा हेतु कार्यसूची मद बैठक के कम से कम 7 दिन पूर्व परिचालित किए जाएँगे। सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से कार्यसूची मदों का प्रेषण इसका परिचालन माना जाएगा।

   बशर्ते कि अध्यक्ष, अपने विवेकानुसार ऐसे मद(ओं) को उठाए जाने के लिए स्वतंत्र होंगे जो कि अत्यावश्यक एवं इसी बैठक में विचारार्थ महत्वपूर्ण प्रकृति के हों। अध्यक्ष, परिषद की सहमति से पूर्व में परिचालित किसी मद(ओं) को बैठक में विचार विमर्श से वापस ले सकते हैं अथवा किसी मद को अगली बैठक में विचार विमर्श हेतु विलंबित कर सकते हैं।

5. शैक्षणिक परिषद की कोई विशेष बैठक रजिस्ट्रार द्वारा कुलपति के परामर्श से निर्धारित तिथि को बुलाई जा सकती है, यदि इस प्रकार का अनुरोध शैक्षणिक परिषद के कुल सदस्यों में से एक तिहाई द्वारा लिखित रूप में प्राप्त होता है। ऐसी विशेष बैठक की मांग करने वाले सदस्यगण कार्यसूची मद(ओं) का उल्लेख करेंगे, जिसपर कि वे बैठक में चर्चा प्रस्ताव करते हैं, तथा विशेष बैठक में सिर्फ उन्हीं मदों पर चर्चा होगी।

   बशर्ते कि विशेष बैठक तबतक आयोजित नहीं की जाएगी जबतक कि ऐसी बैठक की मांग करने वाले एक तिहाई सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं।

6. शैक्षणिक परिषद के वर्तमान सदस्यों में से एक तिहाई शैक्षणिक परिषद की बैठक के लिए कोरम का निर्माण करेंगे।

   जहां शैक्षणिक परिषद की बैठक विधिवत बुलाई गई है तथा बैठक के आयोजन हेतु निर्धारित समय के आधे घंटे के अंदर कोरम की उपस्थिति नहीं होती है, तो बैठक अगले सप्ताह उसी तिथि एवं समय तक के लिए अथवा ऐसे अन्य तिथि के प्रति तथा ऐसे समय एवं स्थान के लिए स्थगित की जाएगी, जैसा कि अध्यक्ष निर्णय लेते है। बैठक के स्थगन हेतु सूचना शैक्षणिक परिषद के सभी सदस्यों को भेजी जाएगी। यदि आस्थगित बैठक में कोरम की उपस्थिती निर्धारित समय के आधे घंटे के अंदर नहीं होती है तो बैठक में उपस्थित सदस्य ही कोरम का निर्माण करेंगे।

   यदि बैठक की तारीख में कार्यसूची मद(ओं) पर विचार विमर्श अनिर्णीत रह जाता है, तो बैठक की निरंतरता अगले दिन अथवा किसी अन्य दिन तक जारी रहेगी,

जैसा कि अध्यक्ष निर्णय लेते हैं। क्रमागत बैठक के लिए किसी कोरम की वांछनीयता नहीं होगी तथा विचार-विमर्श, अध्यक्ष की अनुमति से उठाए गए विषयों को छोडकर पूर्व में परिचालित मदों तक ही प्रतिबंधित रखा जाएगा।

7. शैक्षणिक परिषद की बैठक में कार्यव्यापार का संचालन अध्यक्ष द्वारा नियमित किया जाएगा।

8. बैठक के संचालन के दौरान प्रत्येक सदस्य द्वारा मर्यादा का पालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा वे अपनी चर्चाओं को विषय से संबन्धित दृष्टिकोणों तक सीमित रखेंगे। हालांकि, वे यथोचित तरीके से व्यवस्था के प्रश्न उठा सकते हैं जिनपर अध्यक्ष द्वारा मध्यस्थता की जाएगी।

9. साधारणतया सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाएँगे। तथापि, यदि परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं, अध्यक्ष किसी प्रस्ताव को मतदान के लिए रख सकते हैं तथा निर्णय बहूमत से लिया जाएगा,बराबरी के मामले में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

10. जहां शैक्षणिक परिषद को किसी विषय पर विचार किया जाना है, अध्यक्ष शैक्षणिक परिषद के सदस्यों का अनुमोदन परिचालन द्वारा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ऐसी स्थिति में मसौदा प्रस्ताव को स्पष्टकारी टिप्पणियों एवं इससे संबन्धित कागजातों एवं दस्तावेजों के साथ परिचालित किया जाएगा, यदि यह शैक्षणिक परिषद के सदस्यों में से बहुमत द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है।

11. बैठक के कार्यवृत्त रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किए जाएँगे, जो कि इन्हें अध्यक्ष के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित होने पर कार्यवृत्त को सदस्यों के बीच उनकी अभ्युक्तियों के लिए परिचालित किया जाएगा। सदस्यों से प्राप्त अभ्युक्तियों पर, यदि कोई हो, शैक्षणिक परिषद की अगली बैठक में कार्यवृत्त की पुष्टि किए जाने के पूर्व विचार किया जाएगा।

12. पदेन सदस्यों के अतिरिक्त कोई सदस्य, रजिस्ट्रार के प्रति लिखित सूचना देकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकते हैं, तथा ऐसे सदस्य रजिस्ट्रार द्वारा उनके त्यागपत्र की प्राप्ति की तारीख से सदस्य नहीं बने रहेंगे।

13. इस विनियमावली को संशोधित, निरस्त अथवा इसमें संयोजित करने का अधिकार कार्यकारी परिषद में निहित होगा।

14. यह विनियमावली कार्यकारी परिषद द्वारा इनके अनुमोदन की तारीख से प्रवृत्त होगी।